



पान-इस्लामवाद की अवधारणा का साम्प्रदायिक राजनीति के सन्दर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन

मुकेश कुमार

शोध-छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय बालिका स्नातकोत्तर वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, भारत

Mail Id – manishdear111@gmail.com

डॉ० बीना जोशी

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय विद्यालय स्नातकोत्तर वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, भारत

सह लेखक Mail Id – beenajoshi17@gmail.com

Paper Received On: 20 July 2024

Peer Reviewed On: 24 August 2024

Published On: 01 September 2024

Abstract

प्रस्तुत शोध आलेख पान-इस्लामवाद की अवधारणा का साम्प्रदायिक राजनीति के सन्दर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। इस आलेख में पान-इस्लामवाद की अवधारणा के विषय में बताया गया है और साथ ही ब्रिटिश नौकरशाही ने इस अवधारणा का प्रयोग अपने विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार किया, यह जानकारी भी दी गई है। अपनी स्थापना के बाद से ही मुस्लिम लीग द्वारा पान-इस्लामवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। ब्रिटिश नौकरशाही का पान-इस्लामवाद के विषय में क्या दृष्टिकोण था, आलेख में यह भी स्पष्ट किया गया है। पान-इस्लामवाद की प्रवृत्ति के विषय में तत्कालीन मुस्लिम नेताओं के वक्तव्यों का विवरण भी दिया गया है।

बीजशब्द (Key words): पान-इस्लामवाद, ब्रिटिश नौकरशाही, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, मुस्लिम लीग, खिलाफत आन्दोलन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, साम्प्रदायिक हिंसा, इस्लामी राष्ट्र, धार्मिक सहिष्णुता।

पान-इस्लामवाद एक राजनैतिक विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के मुस्लिम लोगों को एक इस्लामिक राष्ट्र के झण्डे तले एकजुट करना है। इस्लामिक कानून पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था को खिलाफत कहा जाता है। सन् 1800 के दशक के दौरान मुस्लिम समाज-सुधारक जमाल अल-दीन अफगानी ने इस विचार का प्रस्ताव रखा। प्रथम विश्वयुद्ध के पचास मध्य-पूर्व क्षेत्र में यह एक प्रमुख राजनीतिक आन्दोलन बन गया था। पान-इस्लामवादी आन्दोलन के प्रमुख नेता जमाल अल-दीन अफगानी (1838-1897), मुहम्मद अब्दुह (1849-1905) और सैयद रशीद रिदा (1865-1935)

थे। ये सभी नेता मुस्लिम भूमि पर यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशवादी प्रयासों के विरुद्ध सक्रिय थे। पान-इस्लामवाद ने भौगोलिक प्रसार का विस्तार करके इतिहास की दिशा बदल दी। पान-इस्लामवाद की अवधारणा ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य और वहाँ के खलीफा को इस्लामिक जगत में उल्लेखनीय स्थान प्रदान किया। दुनिया भर के सभी मुसलमानों का खलीफा और उसकी संस्था खिलाफत से भावनात्मक जुड़ाव हो गया था। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री राम आहूजा ने साम्प्रदायिकता के सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि साम्प्रदायिकता एक ऐसी मान्यता है जिसकी विशेषता एक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति प्रबल विरोध है। कुछ मामलों में यह प्रतिद्वन्द्विता एक विशेष समुदाय के सदस्यों को नुकसान पहुँचाने और उनका अपमान करने और अधिकतर मामलों में महिलाओं का अपमान करने और यहाँ तक कि व्यक्तियों की हत्या करने की हद तक भी जाती है। साम्प्रदायिकता एक विचारधारा है, साम्प्रदायिक हिंसा इसी विचारधारा का हिंसक प्रदर्शन है।

भारतीय इतिहासकार हरबंस मुखिया के अनुसार साम्प्रदायिकता समूहों के बीच धार्मिक मतभेदों की घटना है जो अकसर उनके बीच तनाव और यहाँ तक कि दंगों का कारण बनती है। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाज शास्त्रीय एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष टी० के० ओमेन ने सुझाव दिया है कि साम्प्रदायिकता के छः आयाम होते हैं—(1) आत्मसात्करणवादी (2) कल्याणकार्यवादी (3) पश्चगमनवादी (4) प्रतिकारवादी (5) अलगाववादी (6) विलग्रतावादी।

(1) आत्मसात्करणवादी

इस आयाम के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को त्यागकर प्रमुख संस्कृति और समाज में आत्मसात हो जाना चाहिए अर्थात् इस आयाम के अन्तर्गत छोटे धार्मिक समूहों को बड़े धार्मिक समूहों में एकीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए हिन्दू कोड बिल हिन्दुओं के अलावा सिखों, बौद्धों और जैनियों पर भी लागू होता है।

(2) कल्याणकार्यवादी

यह आयाम इस विश्वास को दर्शाता है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विशेष कल्याण और सकारात्मक कारवाई कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए जैन समुदाय संघ समुदाय के सदस्यों के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसर जैसे संसाधन प्रदान करके कल्याणकार्यवादी दृष्टिकोण का परिचय देता है।

(3) पश्चगमनवादी

इस आयाम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय प्रमुख संस्कृति और समाज से दूर अपने अलग और विशिष्ट समुदायों में वापस चले तरते हैं। यह बहाई धर्म के उदाहरण से स्पष्ट है जहाँ सदस्यों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाता है। इस प्रकार जब कोई समुदाय अपने

सदस्यों से राजनीति में भाग लेने या उससे दूर रहने के लिए कहता है तो इससे साम्प्रदायिकता पीछे हटती है।

(4) प्रतिकारवादी

इस आयाम के अन्तर्गत लोग कथित अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध प्रमुख संस्कृति और समाज के खिलाफ जवाबी कारवाई करते हैं। उदाहरण के लिए 2012 में बोडो और बांग्ला भाषी मुसलमानों के बीच असम में हुई हिंसा।

(5) अलगाववादी

इस आयाम के अन्तर्गत अलगाववादी पहचान की मांग सामने आती है और बड़े समूह से अलगाव की मांग उठती है। अलगाववादियों का मानना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को एक स्वतन्त्र देश के रूप में एक अलग राज्य बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए विशेष रूप से 1980 के दशक में धार्मिक कट्टरपन्थियों के बीच खालिस्तान को एक अलग देश के रूप में मांग करने के लिए अलगाववादी प्रवृत्ति थी।

(6) विलगतावादी

इस आयाम के अन्तर्गत एक धार्मिक समुदाय अपनी अलग राजनीतिक पहचान की मांग करता है और अपना अलग राज्य बनाने पर जोर देता है अर्थात् विशिष्ट राजनीतिक पहचान के लिए लोगों का एक समूह किसी राज्य अथवा राष्ट्र से अलग होने की मांग करता है।

साम्प्रदायिकता के प्रकार

साम्प्रदायिकता के विभिन्न प्रकार होते हैं जो विभिन्न सन्दर्भों और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग रूपों में प्रकट होते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं—

(1) धार्मिक साम्प्रदायिकता

इसमें विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच विभाजन और संघर्ष भामिल होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब धार्मिक पहचान को राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है।

(2) जातीय साम्प्रदायिकता

इसमें विभिन्न जातीय समूहों के बीच तनाव और संघर्ष भामिल होता है। यह विशेष रूप से उन समाजों में प्रचलित होता है जहाँ जातीय विविधता अधिक होती है।

(3) राजनीतिक साम्प्रदायिकता

इसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साम्प्रदायिक पहचान का उपयोग किया जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब राजनीतिक दल और नेता साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं।

(4) क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता

इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच संघर्ष शामिल होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब एक क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान के आधार पर अन्य क्षेत्रों के लोगों से भिन्न महसूस करते हैं।

(5) भाषाई साम्प्रदायिकता

इसमें विभिन्न भाषाई समूहों के बीच विवाद और विभाजन होते हैं। यह उन क्षेत्रों में प्रचलित होता है जहाँ भाषाई विविधता अधिक पायी जाती है।

(6) आर्थिक साम्प्रदायिकता

इसमें विभिन्न आर्थिक समूहों के बीच संघर्ष होता है, उदाहरण के लिए गरीब और अमीर के बीच। यह तब उत्पन्न होता है जब आर्थिक असमानता और संसाधनों के असमान वितरण के कारण तनाव बढ़ता है। ब्रिटिश नौकरशाही ने "फूट डालो और राज करो" की नीति पर अमल करते हुए पान-इस्लामवाद की अवधारणा का उपयोग हिन्दू-मुस्लिम एकता को क्षीण करने के लिए किया। ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते राष्ट्रीय आन्दोलन और हिन्दू-मुस्लिम के मध्य एकता को कमजोर करने के लिए साम्प्रदायिकता का इस्तेमाल किया। राष्ट्रवाद से साम्प्रदायिकता की ओर बहाव सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था जब अगस्त 1888 में उन्होंने काँग्रेस के प्रचार और नीति का मुकाबला करने और लोगों को काँग्रेस से दूर करने के उद्देश्य से यूनाइटेड इण्डियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। सन् 1857 के विद्रोह का विश्लेषण करने के पश्चात् ब्रिटिश नौकरशाही ने साम्प्रदायिक एकता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और हिन्दू-मुस्लिम एकता को समाप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से प्रयास करना प्रारम्भ कर दिया। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश नौकरशाही ने सुप्रसिद्ध मुस्लिम समाज-सुधारक सैयद अहमद खान (1817-1898) को सुनियोजित ढंग से अपने प्रभाव में लिया। उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को ब्रिटिश सरकार ने अभूतपूर्व आर्थिक संरक्षण प्रदान किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक रहे। ब्रिटिश नौकरशाही ने हिन्दू-मुस्लिम एकता में दरार पैदा करने के लिए पान-इस्लामवाद का भय खड़ा किया जिसके अन्तर्गत उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न इस्लामिक राष्ट्रों की सहायता से मुसलमान भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटिश नौकरशाही ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने और हिन्दू-मुस्लिम एकता को छिन्न-भिन्न करने के लिए पान-इस्लामवाद का सहारा लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए पान-इस्लामवाद एक आसन्न खतरा था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यदि पान-इस्लामवाद की अवधारणा ने साकार रूप ले लिया तो उनके साम्राज्य के लिए यह स्थिति किसी भी रूप में लाभदायक नहीं होगी। 1857 के विद्रोह के सन्दर्भ में ब्रिटिश नौकरशाही ने यह स्वीकार किया कि इस प्रकार के विद्रोह का तात्कालिक फायदा मुसलमानों को होता क्योंकि अँग्रेजों से पहले शासन का दायित्व मुसलमानों पर था। यदि यह विद्रोह सफल हो गया होता तो निश्चित रूप से मुसलमान ही इस देश के शासक होते। ब्रिटिश नौकरशाही ने मुस्लिम मन में पनप रही अलगाववाद की चिंगारी को हवा देने का कार्य किया। इस प्रकार मुसलमानों में अलगाववाद की भावना का प्रसार हुआ और अलगाववाद की इसी भावना ने भारत-विभाजन के लिए नींव का कार्य किया। बंग-भंग एवं भारत-विभाजन इत्यादि के माध्यम से अँग्रेजों ने हिन्दू और मुस्लिमों के बीच कभी न भरने वाली खाई

को जन्म दिया। भारत में हिन्दू और मुस्लिम दोनों अपने आर्थिक हितों को साझा करते थे और दोनों ही शान्तिपूर्वक सह-अस्तित्व में विश्वास रखते थे। भारत में साम्प्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की जड़ें अँग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापित हुईं। यह उपनिवेत्तावाद के प्रभाव तथा इसके खिलाफ उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल थी। हालाँकि 1857 के विद्रोह के समय हिन्दू-मुस्लिम एकजुट होकर सामने आए परन्तु इसके बाद ब्रिटिश नौकरशाही ने "फूट डालो और राज करो" की नीति पर अमल करते हुए समय-समय पर साम्प्रदायिक कार्ड का प्रयोग किया। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन साम्प्रदायिकता को आधार बना कर ही पूरा किया गया। वर्ष 1909 का भारत भासन अधिनियम में, जिसे हम मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जानते हैं, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल की बात की गई, हिन्दू-मुस्लिम एकता को कमजोर करने तथा दोनों वर्गों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न करने के लिए ही लाया गया था।

धर्म के आधार पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ने राजनीति के साम्प्रदायीकरण की प्रक्रिया की को जन्म दिया प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि धर्म आधारित संगठनों की स्थापना हुई। साम्प्रदायिक एकजुटता और धार्मिक रूपान्तरण के लिए काम करने वाले हिन्दुओं के बीच संगठन और शुद्धि आन्दोलन और मुसलमानों के बीच तन्जीम और तब्लीग आन्दोलन सामने आए। राजनीति के इस नए रूप को अँग्रेजों ने संरक्षण प्रदान किया क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करके राष्ट्रीय आन्दोलन को विफल किया जा सकता था और हिन्दू-मुस्लिमों के बीच पनप रही एकता पर कुठाराघात किया जा सकता था। इस सम्प्रदायवादी राजनीति ने उस राष्ट्रीय एकता को गहरा धक्का पहुँचाया जिसके निर्माण के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कठोर परिश्रम किया था। बंगाल-विभाजन की हृदय विदारक घटना ने राष्ट्रीय एकता को कुछ समय के लिए पुनर्जीवन प्रदान किया किन्तु मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय एकता को गम्भीर चुनौतियाँ मिलने लगीं। ब्रिटिश नौकरशाही का यह मानना था कि पान-इस्लामवाद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सम्भावित खतरा सिद्ध हो सकता था। भारतीय आपराधिक सेवा (Indian Criminal Service) के निदेशक सर चार्ल्स राइट क्लीवलैण्ड (1866-1929) को भेजे गए एक पत्र में संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के ले० गवर्नर सर जेम्स मेस्टन (1865-1943) ने पान-इस्लामवाद की ओर संकेत करते हुए लिखा कि, "पान-इस्लामवाद एक नवीन खतरा है विशेषकर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में.....अधिकांश मुस्लिम विद्रोही और अराजकभक्त होने लगे हैं।" मेस्टन ने स्पष्ट रूप से कहा कि पान-इस्लामवाद एक भावना और विचार है न कि शान्ति। पान-इस्लामवाद की अवधारणा ने खिलाफत आन्दोलन (1919-1922) के लिए आधार का कार्य किया। तुर्की के विरुद्ध ब्रिटिश नीति और ऑटोमन साम्राज्य के नियोजित विघटन को लेकर शुरू किए गए खिलाफत आन्दोलन में मुसलमानों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस प्रकार के राजनीतिक आन्दोलन के फलस्वरूप पान-इस्लामवाद का जन सामान्य में व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ जिससे

अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिला। पान-इस्लामवाद की अवधारणा ने विभाजनकारी शक्तियों को प्रोत्साहित किया। अँग्रेजों से पहले मुसलमानों ने भारत पर सदियों तक शासन किया था अतः उनमें यह मानसिकता व्याप्त थी कि वे हिन्दुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं और मुसलमान ही शासक हो सकते हैं, शासित नहीं। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध मुस्लिम नेता मौलाना शौकत अली का यह वक्तव्य उल्लेखनीय है कि, “हिन्दू लोग दासता के अभ्यस्त हैं, वे दास ही बने रहेंगे और मुसलमान स्वतन्त्रता प्रेमी हैं। वे न हिन्दुओं की दासता स्वीकार करेंगे और न ही अँग्रेजों की।” शौकत अली ने आगे कहा कि, “हिन्दू गृहयुद्ध चाहते हैं या शान्ति.....यदि वे (हिन्दू) युद्ध चाहते हैं तो मुसलमान प्रतिक्षण युद्ध के लिए तैयार हैं।”

16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया गया जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक हिंसा की गई। पान-इस्लामवाद के अन्तर्गत पृथक राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरे देश को उन्मादी हिंसा की आग में झोंक दिया गया। नोआखाली, बिहार, संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश), पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रान्त में व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक हिंसा की गई। दंगों की इस विभीषिका में लाखों लोग मारे गए और लाखों अपंग व बेघर हो गए। हजारों की तादाद में औरतों का अपहरण और उनका बलात्कार हुआ। सरकारी आँकड़े बताते हैं कि दोनों समुदायों से ताल्लुक रखने वाले एक करोड़ साठ लाख लोग बेघर हुए। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़ कर भागना पड़ा। मारे गए लोगों की संख्या सरकारी रिकार्ड में लगभग छः लाख दर्ज है। लेकिन अगर गैर-सरकारी सूत्रों की बात करें तो उनमें यह संख्या दस लाख दर्ज है। विभाजन में लगभग दस लाख लोगों की मौत हुई और दो करोड़ लोग विस्थापित हुए। एक लाख लड़कियों व महिलाओं का अपहरण व बलात्कार हुआ। आक्रमण और मार-काट से बचने के लिए लोगों ने मीलों लम्बे मानव-जत्थे बनाए और इस प्रकार विभाजन की वजह से अपने हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही पलायन करने पर विवश हो गए। अनगिनत लोग इस साम्प्रदायिक हिंसा की त्रासदी में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस त्रासदी का सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ा। पान-इस्लामवाद की अवधारणा के माध्यम से ब्रिटिश नौकरशाही ने 15 अगस्त 1947 को भारत-विभाजन की युगान्तरकारी घटना को अंजाम दिया।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

पान-इस्लामवाद पाश्चात्य साम्राज्यवाद का विरोध करता है क्योंकि पान-इस्लामवाद राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा या संस्कृति को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानता। यह केवल इस्लाम धर्म को मानता है। विभाजनकारी विचारधारा पर आधारित पान-इस्लामवाद की अवधारणा ने 15 अगस्त 1947 में भारत को दो टुकड़ों में बाँट दिया था। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने पर भी यह अवधारणा हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। राजनीति को साम्प्रदायिक बनाने में पान-इस्लामवाद का उल्लेखनीय योगदान रहा है। धुवीकरण एवं तुष्टिकरण पान-इस्लामवाद के दो प्रमुख हथियार हैं। साम्प्रदायिक हिंसा एवं दंगे पान-इस्लामवाद के प्रमुख दुष्परिणाम हैं। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में कुछ सरकारों द्वारा

नीतियों के निर्माण में पान-इस्लामवाद की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इन नीतियों के परिणामस्वरूप तुष्टिकरण की प्रवृत्ति पनपती है जिससे सामाजिक भेदभाव पैदा होता है। समय बीतने के साथ ही समाज में व्याप्त सहिष्णुता धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है और इस प्रकार समाज का ध्रुवीकरण हो जाता है। पान-इस्लामवाद की भावना का प्रतिकार करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे साम्प्रदायिक सौहार्द पर विपरीत असर पड़ता है। निश्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पान-इस्लामवाद की अवधारणा ने साम्प्रदायिक राजनीति के लिए नींव का कार्य किया है। विभाजन की विभीषिका के पश्चात् भी अलगाववाद आज विभिन्न रूपों यथा-साम्प्रदायिक हिंसा, उपद्रव एवं दंगों के रूप में हमारे समाज में मौजूद है। यदि हमें साम्प्रदायिकता का सफलतापूर्वक मुकाबला करना है तो धार्मिक सहिष्णुता की भावना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना होगा। आधुनिक पान-इस्लामवाद व्यक्ति को अल्लाह के अधीन करता है, इस्लामी समुदाय की प्रशंसा करता है। कई आधुनिक इस्लामी पार्टियाँ और समूह हैं जिन्होंने अपनी गतिविधियों के लिए अलग-अलग विकल्प चुने हैं-प्रचार से लेकर आतंकवाद और सशस्त्र विद्रोह तक। कई विद्वान पान-इस्लामवाद को आधुनिक समय में मुसलमानों को एकीकृत करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक मानते हैं। साम्प्रदायिकता की शुरुआत हितों की पारस्परिक भिन्नता से होती है किन्तु सामान्यतया इसका अन्त विभिन्न धर्मानुयायियों में पारस्परिक विरोध तथा शत्रुता की भावना से होता है। साम्प्रदायिकता साम्प्रदायिक विचारधारा की उसी प्रकार उपज है जिस प्रकार यह मत जातिवाद की उपज है कि बहुसमूहमूलक समाज में जातिवाद का होना अनिवार्य है। साम्प्रदायिक हिंसा से धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता पर प्रश्नचिह्न लगता है। साम्प्रदायिक हिंसा में पीड़ित परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्हें अपना घर, परिवार यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। साम्प्रदायिकता देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए गम्भीर चुनौती प्रस्तुत करती है क्योंकि यह समाज को साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित करती है। साम्प्रदायिकता और भारतीय राजनीति का सम्बन्ध ऐतिहासिक और समकालीन दोनों सन्दर्भों में महत्वपूर्ण और जटिल है। भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से इस सम्बन्ध को समझा जा सकता है-

(1) ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

ब्रिटिश औपनिवेशिक भासन के दौरान "फूट डालो और राज करो" की नीति ने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इस नीति के तहत धार्मिक आधार पर विभाजन को प्रोत्साहित किया गया जिससे हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के बीच दरारें बढ़ीं। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भी साम्प्रदायिकता एक प्रमुख मुद्दा बनी रही खासकर 1947 में देश विभाजन के समय।

(2) वोट बैंक की राजनीति

साम्प्रदायिकता का उपयोग अक्सर वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है। राजनीतिक दल धार्मिक आधार पर वोटर्स को लुभाने के लिए साम्प्रदायिक भावनाओं का सहारा लेते हैं। विभिन्न चुनावी

अभियानों में धार्मिक मुद्दों को उभारना और एक विशेष समुदाय के हितों को प्राथमिकता देकर समाज को धार्मिक आधार पर बाँटने की कोशिश की जाती है।

(3) धार्मिक उन्माद और दंगे

हमारे देश में कई साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं जिनका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए 1984 का सिख विरोधी दंगा, 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस और इसके बाद के दंगे, 2002 का गुजरात दंगा इत्यादि। इन दंगों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव चिरस्थायी सिद्ध हुआ।

(4) सामाजिक ध्रुवीकरण

साम्प्रदायिकता का प्रभाव समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। इससे सामाजिक सद्भावना को नुकसान पहुँचता है और विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास एवं द्वेष पैदा होता है। सामाजिक ध्रुवीकरण से राजनीतिक दलों को चुनावी लाभ मिलने की संभावना अवश्य होती है किन्तु इससे समाज की स्थिरता और एकता को खतरा होता है।

(5) धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता

भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है लेकिन व्यवहार में साम्प्रदायिक राजनीति का प्रभाव देखा जा सकता है। साम्प्रदायिक राजनीति से देश की राजनीतिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साम्प्रदायिक राजनीति धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को लागू करने में गम्भीर चुनौतियाँ उत्पन्न करती है खासकर जब राजनीतिक दल साम्प्रदायिक भावनाओं का उपयोग करते हैं।

(6) न्यायपालिका और कानून का प्रभाव

भारतीय न्यायपालिका ने साम्प्रदायिकता के मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद इसका एक प्रमुख उदाहरण है। साम्प्रदायिकता और उससे उत्पन्न होने वाली गम्भीर चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी उपायों और कानून प्रवर्तन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का प्रभाव गहरा और बहुआयामी है। इसे नियन्त्रित करने और एक सर्व समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के ले० गवर्नर सर जेम्स मेस्टन का आपराधिक जाँच विभाग (C.I.D.) के निदेशक सर चार्ल्स राइट क्लीवलैंड को पत्र, 16 सितम्बर 1916, भा० रा० अभिलेखागार
2. मौलाना शौकत अली का वक्तव्य, 10 अक्टूबर 1941 मुनीश त्रिपाठी कृत विभाजन की त्रासदी (2019) से उद्धृत
- 3- Kidwai, Mushir Hosain *Pan-Islamism* (1908)
- 4- Bury, G.W. *Pan-Islam* (1919)
- 5- Shakir, Moin *Khilafat to Partition* (1970)
- 6- Ambedkar, Dr. B.R. *Pakistan or Partition of India* (1946)
- 7- Khan, Yasmin *The Great Partition* (2007)

- 8- Smith, W.C.
- 9- Sharma, T.L.
- 10- Hasan, Mushirul
- 11- Arnold, T.W.
12. Stoddard, Lothrop
13. Shah, Mohammad
14. Qureshi, M.Naeem
15. Trivedi, R.K.
- Turkey, 1908-
16. Muir, Sir William
17. Kennedy, Hugh
18. Landau, Jacob M.
19. Danish, Ishtiaque
20. Ahmed, Kashmala
21. Chandra, Bipin
22. Pandey, Gyanendra
- North
23. Engineer, Asgar Ali
24. Das, Suranjan
25. Ahuja, Ram
26. Mukhia, Harbans
- History(1969)
27. Oommen, T.K.
- The Muslim League, 1942-45(1945)*
- Hindu-Muslim Relations in All-India Politics, 1942-1925(1987)*
- Nationalism and Communal Politics in India, 1916-1928(1979)*
- The Caliphate(1924)*
- The New World of Islam(1921)*
- Pan-Islamism in India & Bengal(2002)*
- Pan-Islam in British Indian Politics(1999)*
- The Critical Triangle: India, Britain and 1924(1994)*
- The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall(1891)*
- The Caliphate(2016)*
- Pan-Islam: History and Politics(2015)*
- The Ummah Pan-Islamism and Muslim Nation-states(2001)*
- Pan-Islamism(2019)*
- Communalism in Modern India(1984)*
- The Construction of Communalism in Colonial India(2006)*
- Communalism in India(1985)*
- Communal Riots in Bengal, 1905-1947(1991)*
- Social Problems in India(1992)*
- Communalism and the Writing of Indian Protest and Change: Studies in Social Movements(1990)*